न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 13/2023 **GCMS 2023/28**

वादीगण

1. गोपीराम पुत्र चेताराम आयु 47 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी :—

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती शुद्वि बाबत घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट.1955

उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 14,07.2023

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि यह है कि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 13.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.06 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में वादी का नाम गोपाललाल पुत्र चेताराम जाति कुमावत है, जबकि वादी का वास्तविक नाम गोपीराम पुत्र चेताराम जाति कुमावत है, उपरोक्त भूमि में नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम गलती से गोपाललाल पुत्र चेताराम जाति कुमावत दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जावें। पटवारी हल्का को उपरोक्त नाम दुरूस्त करने हेतु कहने पर मना कर दिया। वादी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त खसरा की भूमि में वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दरूस्ती बाबत तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजदू इतला अनुपस्थित रहे, जिससे एक—पक्षीय कार्यवही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से नकल खतौनी, राशनकार्ड की छाया प्रति,बचत खाता भारतीय स्टेट बैक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छाया प्रति, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति,पेनकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की।

वकील वादी की एक—पक्षीय बहस सुनी गई,पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, उपरोक्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिनके अनुसार वादी का सही नाम गोपीराम पुत्र चेताराम जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी है जबकि उपरोक्त जमाबंदी में वादी का नाम गोपीराम पुत्र चेताराम जाति कुमावत कुचामनसिटी दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार वादी का सही नाम की उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद वादी डिक्री कर ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 13.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.06 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि गोपाललाल पुत्र चेताराम हिस्सा 1/20 जाति कुमावत सा. कुचामन खातेदार के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि गोपीराम पुत्र चेताराम हिस्सा 1/20 जाति कुमावत सा. कुचामन खातेदार दर्ज की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 14.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 13/2023 **GCMS 2023/28**

वादीगण

1. गोपीराम पुत्र चेताराम आयु 47 वर्ष जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट.1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री कर ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 13.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.06 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि गोपाललाल पुत्र चेताराम हिस्सा 1/20 जाति कुमावत सा. कुचामन खातेदार के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि गोपीराम पुत्र चेताराम हिस्सा 1/20 जाति कुमावत सा. कुचामन खातेदार दर्ज की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...14...माह ...07...... सन्...2023....... को जारी की गई।

(मुहर)

[Seal: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)]

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
आफिसर
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत.			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 126 दिनॉकः— 20/07/2023

प्रेषित :— तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :— राजस्व प्रकरण वाद सं. 13/2023 **GCMS 2023/28** गोपीराम बनाम राज.सरकार वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 13/2023 **GCMS 2023/28** गोपीराम बनाम राज.सरकार में पारित डिक्री की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested